



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 299 राँची, मंगलवार,

5 जुलाई, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

5 जुलाई, 2022 / आषाढ़ 14, 1944 (शक)

सं. 480/2022:- यतः, श्री एम. वेंकैया नायडु, भारत के उपराष्ट्रपति की पदावधि, संविधान के अनुच्छेद 67 की शर्तों पर, 10 अगस्त, 2022 को समाप्त हो रही है; और

यतः पदधारित उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने तथा उनका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, संविधान के अनुच्छेद 68 के खण्ड (1) की शर्तों पर निर्वाचन कराया जाना है; और

यतः राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख इस प्रकार नियत की जानी अपेक्षित है कि निर्वाचन ऐसे समय तक पूर्ण हो जाए और निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद 11 अगस्त, 2022 को ग्रहण करने में समर्थ हो सकें;

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा: -

अ) संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, वर्तमान उपराष्ट्रपति की अवधि खत्म होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और

आ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है:

- (क) नामनिर्देशन की अन्तिम तारीख : 19 जुलाई, 2022 (मंगलवार)
 (ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख : 20 जुलाई, 2022 (बुधवार)
 (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 22 जुलाई, 2022 (शुक्रवार)
 (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा : 6 अगस्त, 2022 (शनिवार)
 आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

5th July, 2022 / Ashadha 14, 1944 (Saka)

No. 480/2022:- Whereas, the term of office of Shri M. Venkaiah Naidu, Vice-President of India, is upto 10th day of August, 2022, in terms of Article 67 of the Constitution; and

Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 68 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent Vice-President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under sub-section (3) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the office of the Vice-President of India that the election will be completed at such time as will enable the Vice-President thereby elected to enter upon his office on the 11th day of August, 2022;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

- (A) **calls upon** the Electoral College, referred to in Article 66 of the Constitution, to elect a person to fill the above vacancy in the Office of Vice-President of India before the expiration of the term of the incumbent Vice-President, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and
- (B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, appoints -
- the 19th July, 2022 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - the 20th July, 2022 (Wednesday), as the date for scrutiny of the nominations;
 - the 22nd July, 2022 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and
 - the 6th August, 2022 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA,
SR. PRINCIPAL SECRETARY
